सूचना के अधिकार कानून 2005

विश्लेषण, अनुभव तथा रणनीति

सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच का विषय हमारे देश में षड़यंत्र करने के समान जान पड़ता है। ऐसी जानकारी जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर लोगों की ज़िन्दगी पर पड़ता हो – को हासिल करने के लिए हमेशा उधेड़बुन की स्थिति बनी रहती है। ऐसी जानकारी सरकारी दस्तावेज, सूचना या अन्य कोई स्त्रोत से हासिल हो सकती है। वैसे तो 1950 में लागू भारत का संविधान अनुच्छेद 19 के तहत सूचना का अधिकार का जिक्र मौलिक अधिकारों के रूप में करता है। इसके तहत सिर्फ जानकारी को हासिल करना ही शामिल नहीं है बल्कि मौजूदा जानकारी को अपने तथ्यों से प्रभावित करना भी शामिल है। इसके बावजूद सरकार को अलग से सूचना का अधिकार कानून 2005 लाना पड़ा जो की अब पूरे भारत में लागू है।

आशा है कि यह नया कानून भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत करेगा तथा यहां के नागरिक को सही जानकारी हासिल होगी। इससे समाज में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। इन सबके फलस्वरूप सरकार की जवाबदेही बढ़ेगी तथा भ्रष्टाचार खत्म हो सकेगी। अभी तक भ्रष्टाचार मिटाने के लिए उठाये गये सारे कदम मनमाने हुआ करते थे। कई बार यह कानून तथा दूसरे कानून परस्पर विरोधी दिखते हैं लेकिन नया कानून हमें हमेशा यह बताने की कोशिश करता है कि लोकतांत्रिक आदर्श को बचाये रखने के लिए इस कानून की प्राथमिकता कितनी ज़रूरी है।

खण्ड 1

इस कानून के मुताबिक सूचना का मतलब किसी भी ऐसी सामग्री तथा उसके प्रकार से है जो कि किसी रिकार्ड, डाक्यूमेंट, मेमो, ईमेल, विचार, परामर्श, प्रेस रिलीज़, सरकुलर, आर्डर, लॉगबुग, ठेका, रिपोर्ट, नमूना, माडल्स इत्यादि से प्राप्त किये जा सकते हों। इलेक्ट्रानिक फार्म जैसे कि सी.डी, फ्लापी इत्यादि में जमा कोई आंकड़ा भी इसमें शामिल है परंतु फाइल नोटिंग्स इसमें शामिल नहीं है। रिकार्डस की परिभाषा करते वक्त इस चीज का ध्यान रखा गया है कि उसमें कोई भी दस्तावेज, पाण्डुलिपि, फाइल, फिल्म, माइक्रोफिश, फैक्स, तथा कम्पयूटर तथा अन्य माध्यमों से निर्मित कोई अन्य दस्तावेज़ भी शामिल होगा। यह बात साफ है कि यह कानून किसी भी सार्वजनिक कार्यालय में उपलब्ध हर तरह की जानकारी तथा दस्तावेज चाहे वो किसी भी रूप में हो, को शामिल करता है। हालांकि इस कानून के खण्ड आठ और नो के तहत 13 ऐसे विषय हैं जिनको इस कानून के बाहर रखा गया है। इसके पीछे कारण यह बताया गया है कि ये विषय देश की एकता और संप्रभुता से जुड़े हैं तथा इनको इस कानून के तहत लाने से देश की सुरक्षा एवं वैज्ञानिक तथा आर्थिक हित पर आंच आ सकती है।

इसका मतलब यह होता है कि हम अपने देश द्वारा किये गये अंतर्राष्ट्रीय तथा गुप्त समझौतों संबंधित जानकारी नहीं हासिल कर सकते हैं।

सार्वजनिक प्राधिकार की भूमिका

इस कानून के तहत यह वांछनीय है कि हरेक सार्वजनिक अधिकारी अपने दफ्तर/विभाग से संबंधित सारे रिकार्डस, जानकारी, सूचना इत्यादी को व्यवस्थित तरीके से रखे। इसका मतलब यह है कि वो उसका इंडेक्स तथा कैटालॉग बनाये तथा आम विभागीय जानकारी जैसे कि अफसरों तथा कर्मचारियों की सूची, बजट इत्यादि को समय समय पर प्रकाशित करायें। हर विभाग को अपने जन सूचना अधिकारी के नाम भी प्रकाशित करना होता है।

सूचना प्रदान करना

सूचना कानून की धारा 6 के तहत आवेदक अपनी जानकारी के लिए लिखित अथवा इलेक्ट्रानिक फार्म में आवेदन कर सकता है। लेकिन आज तक दिल्ली में कोई भी विभाग ने ईमेल से आवेदन को मान्यता नहीं दी है।

कानून में आवेदन के लिए कोई फारमैट नहीं दिया हुआ है लेकिन डी.डी.ए ने अपनी मर्जी से अपना फार्म बना लिया है जिसपर उसने अपना लोगो तथा एक सिरियल न. भी डाल रखा है। इस फार्म में आपको यह भी लिखना पड़ता है कि आको जानकारी किस लिए चाहिए जो कि धारा 6(2) के बिल्कुल विपरित है।

जन सूचना अधिकरी को आवेदन के 30 दिन के अन्दर सूचना प्रदान या लिखित रूप से उसकी मनाही करना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे 250 रू. प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना हो सकता है। यह जुर्माना हर रोज़ जुड़ता जाएगा जब तक कुल राशी 25,000 रू. नहीं हो जाती। अधिकारी को जुर्माना के जगह पर कोइ अन्य सजा भी दी जा सकती है।

खण्ड 2

सूचना के अधिकार को पूरे संसार में एक अति आवश्यक कानून के रूप में मान्यता मिली है तथा यह माना जाता है कि लोकतंत्र तथा सुशाषण के लिए यह एक बेहद ही जरूरी कानून है। यह कानून विश्व के 40 देशों में लागू हो चुका है तथा कुछ अन्य देशों में लागू होने की प्रक्रिया में है।

सूचना का अधिकार कानून तथा अन्य देश

न्यूजीलैड, कनाडा तथा आस्ट्रेलिया में यह कानून 1982 में पारित हुआ तथा दक्षिण अफ्रीका में यह सन 2000 में लागू हुआ जबकि पाकिस्तान मे यह एक अध्यादेश के रूप में सन् 2002 में आया। अमरिका में तो यह कानून 1966 से ही चला आ रहा है। अमरीका में 10 दिन के अन्दर ही जानकारी प्रदान करनी होती है एंव ऐसा नहीं होने पर अधिकारियों के लिए कड़े दण्ड के प्रावधान है। आस्ट्रेलिया में यह समय 14 दिन का है जबकि न्यूजीलैंड में यह 20 दिन है। पाकिस्तान में समय सीमा 21 दिन की है। आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में दण्ड का कोई प्रावधान नहीं है जबकि कनाडा, दक्षिण अफ्रिका तथा पाकिस्तान में अगर कोई अधिकारी सूचना नहीं देने का दोषी पाया जाता है तो उसे जुर्माना अथवा 2 साल की कैद हो सकती है। अमरिका में इस कानून के लिए जवाबदेह निकायों को हर वर्ष यह रिर्पोट देनी पड़ती है कि पूरे वर्ष में कितने आवेदन आये, कितनों को जानकारी नहीं दी गयी तथा कितने अपील हुए तथा जानकारी नहीं देने वाले अधिकारीयों के नाम तथा अन्य विवरण भी उसमें होते हैं। यह रिर्पोट वहां के सिनेट के अध्यक्ष प्रतिनिधी सभा के अध्यक्ष को सौपी जाती है। यह व्यव्स्था अभी दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं है।

हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों में इस कानून का अनुभव

हाल ही में लागू केन्द्रिय सूचना अधिकार कानून के पहले हिन्दुस्तान के कई राज्यों में यह कानून राज्य स्तर पर कानून बनाकर लागू हो चूका था। सबसे पहले यह कानून 1997 में तमिलनाडू में लागू हुआ। उसके बाद गोवा, मध्य प्रदेश में भी उसी वर्ष लागू हुआ। गोवा का कानून काफी प्रगतिशील रहा है। इस कानून के तहत एक स्वतंत्र अपील प्राधिकार (सरकार के बाहर) का गठन हुआ जो अपील के केसों की सुनवाई करता है। उसी वर्ष राजस्थान राज्य में एक अभियान सूचना के अधिकार के लिए राष्ट्रीय अभियान (NCPRI) नाम से शूरू हुआ। शूरू से ही इस अभियान का मकसद इस कानून को जनपक्षीय तथा गरीब पक्षीय बनाने पर जोर देना रहा है। सन 2000 में इस अभियान को राज्यस्थान में इस कानून को पारित करवाने में सफलता मिली। इस अभियान के तहत उन्होनें राज्यस्थान के जिलों तथा पंचायतों से संबधित ढेर सारे दस्तावेज़ तथा वित्तीय रिकार्ड जमा किये। यह सब चीज़े राजस्थान में व्याप्त घोर भ्रष्टाचार को उजागर करने में काफी मददगार साबित हुई।

खण्ड 3

निष्कर्ष तथा शूरूआत

देश की मौजूदा सरकार की केन्द्रीय सूचना का अधिकार कानून पारित करने के लिए काफी तारीफ हुई है। सभी सरकारी वेबसाइटों पर काफी प्रगतिशील भाषा में यह लिखा हुआ दिखता है कि जवाबदेही तथा पारदर्शीता के लिए यह सरकार कितना प्रतिबद्व है। लेकिन सवाल उठता है कि यहां सरकार यह तय कर रही है कि किसको क्या जानकारी चाहिए। पी. आई. एल. का अनुभव हमें यह सिखाता है कि जिस चीज का गरिबों के भलाई के लिए जन्म हुआ वह बाद में गरीब के खिलाफ ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है।

इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पी.आई.एल. का गरीबों का रोज़गार तथा उनका घर छीनने/तोड़ने के लिए हो रहा उपयोग है।

इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए खतरा केन्द्र ने नये कानून को डी.डी.ए के उपर लागू कर समझना चाहा की जिस डी.डी.ए. ने आज तक हमारे सैंकड़ों पत्रों का एक भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा उसकी इस कानून के लागू होने के बाद क्या क्रिया/प्रतिक्रिया है। हमारे एक महीने के अनुभव से हमे यह लगता है कि डी.डी.ए. के अधिकारीयों को अभी भी यह महसूस नहीं हो रहा है कि सूचना का कानून लागू हो गया है तथा अब पहले जैसा उनका रवैया नहीं चलेगा। उनको लगता है कि अभी भी वो इस कानून के प्रभाव में आने से रोक देंगे। हमारे निम्नलिखित अनुभव से यह और साफ पता चलता है कि :

(क) अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचना के कानून के बारे में बहुत कम पता है। काउंटर पर कुछ भी पूछने पर उनका हवाब होता है, बड़े अधिकारी से पूछो। बड़े अधिकारी या तो छुट्टी पर होते हैं या मीटिंग में।

(ख) सूचना कानून के लिए विकास सदन में बनाई गई काउंटर पर जनता को काफी असुविधा होती है। उसका डिज़ाइन इस प्रकार से है कि या तो आप ठीक से सुन नहीं सकते या आपको अपनी बात कहने के लिए जोर से बोलना पड़ेगा।

(ग) डी.डी.ए ने सूचना कानून के लिए अपना फार्म खुद से बना लिया है जबकि कानून के मुताबिक कोई भी सादे कागज़ के ऊपर भी आवेदन कर सकता हैं। यह फार्म भी वह एक से ज़्यादा नहीं देते। आवेदक को शुल्क के रसीद की फोटोकापी भी लगाने को कहा जाता है।

सूचना कानून का काम देख रहे कर्मचारियों को इस कानून के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उदाहरण के लिए जब हम झुग्गी तोड़–फोड़ संबंधी जानकारी लेना चाह रहे थे तो वे फार्म लेने से मना कर रहे थे जबकि उन्हीं के द्वारा बनायी गयी जन संपर्क अधिकारियों की सूची में एक अधिकारी इसके लिए भी है। यह दिखाने पर नहीं चाहते हुए भी उन्हें फार्म लेना पड़ता है।

मास्टरप्लान कार्यालय वसंत कुज में कोई अकाउंटेंट की व्यवस्था नहीं है। आपको फीस जमा करने के लिए डी.डी.ए के नज़दीकी दफ्तर, जो कि एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जाने के लिए कहा जाता है। वहां के अधिकारी (PIO) अक्सर यह कहते हैं कि हमे कोई काम नहीं है इसलिए सूचना लेने आ जाते हैं।

इस सेमिनार का उद्देश्य हमारे अनुभवों को लोगों के साथ बांटना है तथा ऐसे रास्ते तथा तरीके तलाशने हैं जो कि लोग डी.डी.ए या किसी भी विभाग में जाकर उपयोग कर सकें। आज की यह बैठक इसी दिशा में एक लंबे कैंपेन की शुरूआत है जो कि लोगों के साथ मिलकर सूचना के कानून का सशक्त उपयोग पर बल देगी। इससे हमारा उद्देश्य सिर्फ डी.डी.ए या अन्य विभागों को जवाबदेह बनाना ही नहीं है बल्कि लोगों तथा समुदायों के पास जो ज्ञान और जानकारी है उससे सरकारी सूचना को चुनौती देना भी है।

संदर्भ :–

- सूचना का अधिकार कानून 2005
- CHRI वेबसाईट
- NCPRI वेबसाईट
- खतरा केन्द्र दस्तावेज

नवंबर 2005

खतरा केन्द्र, 92–H, तीसरी मंज़िल, प्रताप मार्केट, मुनिरका, नई दिल्ली – 110 067
फोनः 26187806, 26714244, ईमेलः haz_cen@vsnl.net,
वेबसाईटःwww.hazardscentre.org